बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। संकल्प ।।

विषय– राज्य सरकार के कर्मियों को विपश्यना केन्द्र में आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु अधिकतम 15 दिनों का विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–12829 दिनांक–28.10.2021 द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क, पटना में अवस्थित विपश्यना केन्द्र में संचालित विपश्यना ध्यान में सरकारी सेवकों को सम्मिलित होने के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया गया है–

"राज्य सरकार के कर्मियों के लिए बुद्ध स्मृति पार्क, पटना अवस्थित विपश्यना केन्द्र में निःशुल्क रूप से संचालित किये जाने वाले 10 दिनों के आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में भाग लिये जाने हेतु अधिकतम 15 दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा।

परन्तु आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 दिनों तक के लिए विशेष अवकाश उन राज्य सरकार के कर्मियों के लिए ही स्वीकृत किया जायेगा जो पटना से बाहर अवस्थित कार्यालय से आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आयेंगे।

यह अवकाश सक्षम प्राधिकार द्वारा तभी स्वीकृत किया जायेगा जब संबंधित कर्मी का आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में शामिल होने की विपश्यना केन्द्र से लिखित सम्पुष्टि/सूचना प्राप्त हो जायेगी।"

2. उक्त संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि 10 दिनों के आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में शामिल होने हेतु सरकारी सेवकों को अधिकतम 15 दिनों तक का विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने संबंधी उक्त वर्णित प्रावधान पटना केन्द्र के अतिरिक्त अन्य 05 विपश्यना केन्द्रों– बोधगया, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, चकिया एवं वैशाली– पर भी लागू होंगे।

3. यह तुरंत प्रवृत होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Rajendra 15.7.2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0–27/2021 सा0प्र0 11123/पटना, दिनांक– 16.7.24

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को, बिहार, पटना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Rajendra 15-7-2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0–27/2021 सा0प्र0 11123/पटना, दिनांक– 16.7.24

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल, बिहार के सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 15-7-2024

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।